मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक: एफ: 9-10/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - नवीन अंशदायी पेंशन योजना में हुये कटौत्रे को सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) में समायोजित करने बावत्।

--०००--

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक PFRDA/2013/2. S.L.-1 दिनांक 22 जनवरी 2013 के अनुक्रम में ऐसे अभिदाता जिनका नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत कटौत्रा किया जा रहा है एवं वास्तव में वह इस योजना के सदस्य नहीं है को अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कटौत्रे की राशि को अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाते में तथा राज्य शासन के अंश को राज्य शासन के खाते में जमा किया जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. अभिदाता का आवेदन, पार्ट 'ए' (संलग्न) में कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राप्त किया जाकर पार्ट 'बी' (संलग्न) में प्रमाणीकरण किया जावेगा । अभिदाता का सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाता संधारित होना आवश्यक है जिसकी प्रविष्टि आवेदन में वांछित स्थानों पर की जावेगी । उक्त दोनो अभिलेखों को संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल को प्रेषित करेंगें ।

2. संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल प्रपत्र 'सी' (संलग्न) में जानकारी N.S.D.L. N.P.S. क्लेम प्रोसरिंग सेल मुम्बई को प्रेषित करेंगें ।

PTO

3. N.P.S. क्लेम प्रोसेसिग सेल N.S.D.L. मुम्बई कंडिका 2 अनुसार राशि संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल के पूर्व से संधारित अंशदायी पेंशन से संबंधित बैंक खाते में जमा किये जाने के साथ-साथ एक रिपोर्ट संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को प्रेषित करेगें जिसमें किस अभिदाता की कितनी राशि जमा की गई है, का उल्लेख होगा ।

4. संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल के खाते में प्राप्त राशि के दो बराबर-बराबर भाग किये जायेगें । प्रथम भाग (अभिदाता का नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंशदान तथा उस पर प्राप्त लाभांश) मुख्य लेखा शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि, उप लघु शीर्ष 01-सिविल, लघु शीर्ष 101-सामान्य भविष्य निधि में चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा । प्रत्येक अभिदाता हेतु पृथक-पृथक चालान उपयोग मे लाया जायेगा । जमा राशि के साथ अभिदाता का विवरण महालेखाकार, संबंधित कार्यालय प्रमुख तथा अभिदाता को भेजी जायेगी । महालेखाकार अभिदाता के विवरण तथा जमा राशि के चालान के आधार पर अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाते में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेगें । द्वितीय भाग अर्थात राज्य शासन द्वारा जमा किया गया अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ राज्य शासन के प्राप्ति खाते मे मुख्य शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत चालान के माध्यम से कोषालय में जमा किया जायेगा ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Sunita/ paripa2013

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-10/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 11-12-2013

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita
http://www. Finance.mp.gov.in

NPS-EWC	Withdrawal Request Ref No	Date;
CLAIMS FOR THE WIRTHDRAWAL OF ACCUMULATED PENSION WEALTH UNDER NEW PENSION SYSTEM OF NPS ACCOUNTS PERTAINING TO GOVERNMENT EMPLOYEES-ARISING DUE TO GOVERNMENT CLARIFICATION OF HAVING BEEN WRONGLY CLASSIFIED AS FALLING UNDER NPS BUT WHICH HAVE BEEN ACCEPTED AS FALLING UNDER PRE 01/01/2005 GPF-CUM PENSION SCHEME		

PART A-SUBSCRIBER REQUEST

To,
ASSTT.VICE PRESIDENT ,
CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY,
NSDL 4TH FLOOR, 'A' WING,TRADE WORLD,
KAMALA MILLS COMPOUND,
SENAPATI BAPAT MARG,
LOWER PAREL(W),
MUMBAI-400013

Subject:- Withdrawal of pension wealth for NPS account erroneously admitted in NPS but falling under GPF-cum-pension of Govt.

Dear Sir/Madam

I would like to inform that I have been erroneously admitted into NPS by our office and upon my representation government has decided that I will be covered as per the per 01/01/2005 GPF-cum-Pension scheme vide their approval letter vide ref and dt. .I request you to withdrawl the accumulated pension wealth in my pension account and credit it to the bank account of Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal for making credit my NPS part into my GPF Account No------------------------------ and Government contribution in Government Head of Account with benefits accrued.

PRAN No:--
*All other details should be automatically populated from the CRA system for the following entries
Name of the Subscriber

Date of Birth:---

PAO/DTO number/Number to which the Subscriber is mapped:

Declaration

I--
NPS Subscriber with PRAN Number--do hereby declare that the information provided above is true to the best of my knowledge & belief

Date---(DD/MM/YYY)

Signature of the Subscriber

Place---

*Signature should tally with the signature on PRAN card/NPS form.

Note:- Copy of the approval letter from the Government(Order by which the subscriber has become regular employee with GPF contribution) must be attached with the print out of this form at the time of providing it to Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal. The Proof for opening of GPF account No of the subscriber must be attached with the application.

PART : B CERTIFICATION BY DRAWING AND DISBURSING OFFICER

We confirm that the Mr/Mrs/Ms-----------------------with PRAN/PPAN No---------------------has been erroneously admitted into NPS from our office instead of being covered under pre 01/01/2005 GPF-cum-Pension scheme as submitted by the subscriber. We request you to withdraw the accumulated pension wealth held in subscribers pension account and credit it to the bank account of Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal.

Disclaimer:- We understand that contribution amount for the above was invested in NPS and the amount redeemed may be higher or lower from the total contribution amount invested in NPS depending on the NAV movement and the same will be transferred to bank account of Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal for making credit subscriber NPS part in to subscriber GPF Account No---------------------------------- and Government contribution in Government Head of Account with benefits accrued.

Yours Faithfully

(Signature of PAO/DTO)

PAO/DTO Name

DDO Registration No

Date

Place

PART : C

Directorate Pension, Provident Fund & Insurance, Madhya Pradesh
Kisan Bhavan ,Bhopal

To,

ASSTT.VICE PRESIDENT ,
CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY,
NSDL 4TH FLOOR, 'A' WING,TRADE WORLD,
KAMALA MILLS COMPOUND,
SENAPATI BAPAT MARG,
LOWER PAREL(W),
MUMBAI-400013

Subject:- Withdrawal of pension wealth for NPS account erroneously admitted in NPS but falling under GPF-cum-pension of Govt.

Ref: Drawing and Disbursing Officer Letter No Date.

Under the subject and reference cited above and information given thereof Mr/Mrs/Ms------------------------with PRAN/PPAN No--------------------....has been erroneously admitted into NPS instead of being covered under pre 01/01/2005 GPF-cum-Pension scheme as submitted by the subscriber and forwarded and verified by concerned Drawing and Disbursing Officer . We request you to withdraw the accumulated pension wealth held in subscribers pension account and credit it to the bank account(Government Account) of Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal as mentioned below.

A/C Name---------------------------------A/C No--

IFCS Code--

Please also provide simultaneously the details of payment to this office so that the payment of pension wealth received in the account is identified with the subscriber and further action of transferring fund to GPF account of Subscriber and Government Head of account can be taken.

(Signature of PrAO)

PrAO Name

PrAO Registration No

Date

Place